

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक— /एम0, पटना, दिनांक—
सेवा में,

सभी बन्दोबस्तधारी,

विषय— राज्य के बाहर बालू लदे वाहनों में GPS/ e-Lock लगाने के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि राज्य के बाहर बालू के निर्यात हेतु Export ई-चालान का प्रयोग किया जा रहा है। इस सम्बंध में सुचित करना है कि राज्य के बाहर जाने वाले बालू लदे वाहनों में तत्काल GPS एवं e-Lock अनिवार्य नहीं होगा। परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि लघु खनिजों को तिरपाल से पुरी तरह ढका हो/वाहनो का सही up to date कागजात उपलब्ध हो/ ओभर लोड नहीं हो एवं अवैध खनन नहीं हो। इन बिन्दुओं पर विशेष निगरानी रखना सुनिश्चित करें।

यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी होगा।

ह0/-

(असंगबा चुबा आओ)

विशेष सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक— /एम0 पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:—सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक— 736 /एम0 पटना, दिनांक— 08-02-18

प्रतिलिपि:—सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस अधीक्षक से अनुरोध है कि अपने जिले के सम्बंधित थाना को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश देना चाहेंगे।

विशेष सचिव-सह-निदेशक।